

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2018/ 338

दिनांक - 31.01.18

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1 सताराम पुत्र विरधाराम
2 डूंगराराम पुत्र
पुरखाराम 3 मालीदेवी
पत्नी विरधाराम जाति
मेघवाल निवासी सरणू
भीमजी तहसील व जिला
बाड़मेर।

1 श्यामाराम 2 प्रहलादराम पिसरान चिम्मराम 3 कंवराराम 4
मोमताराम 5 चेनाराम पिसरान खेराजरा 6 रामाराम पुत्र
बालाराम 7 जेठाराम 8 हरजीराम पिसरान भूराराम 9 सुगणी
पत्नी भूराराम 10 रिडमलराम 11 निम्बाराम 12 सताराम
पिसरान मोडाराम 13 दमाराम 14 बाबूराम 15 उमाराम 16
नेनाराम पिसरान लच्छाराम 17 रम्भा पत्नी लच्छाराम 18
चूनाराम पुत्र लच्छाराम 19 घमण्डाराम 20 राणाराम पिसरान
भेराराम 21 अणदाराम पुत्र मोटाराम जाति मेघवाल निवासी
सरणू भीमजी तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने
राजस्व आवेदन संख्या :- 91/2016

नेखमबन्दी बाबत
दिनांक- 28.01.18

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सरणू भीमजी पटवार क्षेत्र सरणू तहसील व जिला बाड़मेर
के खसरा संख्या 450/345 रकबा 37.09 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित
करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है।
उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये
सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी
नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर
पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे
एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा
किया जावेगा।



क्रमांक :- रीडर/2018/ 339-42

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरणू तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. सताराम पुत्र विरधाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी सरणू भीमजी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी श्यामाराम पुत्र चिमाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी सरणू भीमजी तहसील व जिला बाड़मेर।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 31.01.18

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर